

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु०),
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 02.5.19

विषय: समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत विभिन्न लाभुक श्रेणियों के लिए संचालित सभी प्रकार के गृहों के साज-सज्जा एवं आधुनिकीकरण हेतु कुल 695.00 लाख (छः करोड पंचानवे लाख) की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग महिलाओं, वृद्धजनों एवं समाज के निशक्तजनों, बच्चों एवं अन्य अभिवंचित वर्गों के हितों तथा अधिकारों के संरक्षण हेतु बिहार सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न लाभुक श्रेणियों के लिए विभिन्न प्रकार के गृह सरकार अथवा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कार्यरत है यथा वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम गृह, महिलाओं के लिए अल्पावास गृह तथा रक्षा गृह, उत्तर रक्षा गृह, बालक एवं बालिकाओं के लिए बालक/बालिका गृह, विधि विवादित बच्चों के लिए पर्यवेक्षण गृह, भिक्षुकों के लिए भिक्षुक पुनर्वास गृह तथा लावारिस नन्हें बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान आदि कार्यरत है। वर्तमान में राज्य में कुल सात (07) वृद्धाश्रम गृह, पांच (05) भिक्षुक पुनर्वास गृह, चौदह (14) अल्पावास गृह, एक (01) रक्षा गृह, तेइस (23) बालक गृह, अठ्ठाइस (28) विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, ग्यारह (11) बालिका गृह, चौदह (14) पर्यवेक्षण गृह, एक (01) विशिष्ट गृह तथा एक (01) सुरक्षित स्थान अर्थात कुल 105 गृह संचालित है। उक्त सभी गृहों का आधुनिकीकरण किया जाना है।

2. संचालित इन सभी गृहों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में शीर्षवार अलग-अलग कुल 17900.61 लाख रूपये का योजना उदव्यय प्राप्त है (मदवार योजना उदव्यय संलग्न)। इन प्रत्येक गृहों के आधुनिकीकरण हेतु निम्नरूपेण उन्नयन का प्रस्ताव है :-

(क) प्रत्येक गृह में कम से कम दो RO Water Installation लगाना है।

(ख) प्रत्येक गृह में दो कम्प्युटर प्रिंटर के साथ स्थापित किया जाना है।

(ग) प्रत्येक गृह में कम से कम दो टेलिविजन का व्यवस्था किया जाना है। बच्चों से संबंधित गृह में 14-18 वर्ष के बच्चों के लिए अलग टीवी एवं अन्य के लिए अलग टीवी लगाया जाना है।

(घ) प्रत्येक गृहों का रंग-रोगन (डीप आसमानी कलर से) किया जाना है ताकि उन गृहों की पहचान आसानी से हो सके।

